तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
29/10/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 24/11/25 को पेश हो।	
24/11/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 19/12/25 को पेश हो।	
19/12/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 20/01/26 को पेश हो।	
20/1/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० ~~अधि~~ पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13/2/26 को पेश हो।	
13/2/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 5/3/26 को पेश हो।	
5/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 10/4/26 को पेश हो।	
10/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० अधि० प्रार्थी की [illegible] बहस सुनी गई। अधि० प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जो कि चक नगला बीघा में स्थित है। उक्त आराजी हक प्रार्थी एवं अप्रार्थी को बतौर विरासत प्राप्त हुयी है एवं उक्त आराजी का	

RPU

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अभी तक कानूनी विभाजन नहीं हुआ है उक्त आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी मालिकान रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी ~~सं~~ 4 के मन में बदनीयत आ जाने के कारण वह उक्त आराजी के कीमती हिस्से को बेचान करना चाहता है। अप्रार्थी को निषेधाज्ञा बाद फैसले अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाने जाने का निवेदन किया है। मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न नायब रिकार्ड जमाबंदी संवत 2075-78 वाके ग्राम चक नगला बीया का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित आराजी के प्रार्थी 1/98 हिस्से एवं अप्रार्थी 5/98 हिस्से के खातेदार काश्तकार है अप्रार्थी निमत सिर कीत होने के पश्चात उनके वारिसान बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये अतः दिनांक 8/10/25 को इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी के वारिसान की ओर से अपने समर्थन में कोई भी जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है प्राइमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के हक में जाहिर होते हैं। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध ~~अ~~ अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] बाद इस आदेश की जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 16, 27, 45, 59, 60 व 61 वाके ग्राम चक नगला बीया के प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बनने वाले हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलेक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

RPU